दिनांक 13.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी पोस्ट करने एवं वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाने वाले 40 विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध कार्यवाही

माननीय मुख्यमंत्री **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री प्रशांत कुमार** को वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत भारतीय सेना द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी एवं अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी के उक्त आदेशों के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, श्री अमिताभ यश के सघन पर्यवेक्षण में पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर की एक स्पेशल टीम द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रविरोधी, भ्रामक एवं अफवाह फैलाने वाले हैंडल्स की 24X7 मॉनिटरिंग की जा रही है।

इसी क्रम में अभी तक कुल 40 विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सम्बन्धित जनपदों में अभियोग पंजीकृत कराकर कुल 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उक्त सभी 40 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कराए जाने की कार्यवाही साइबर क्राइम मुख्यालय के माध्यम से कराई जा रही है।

चिन्हित किए गए सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण निम्नवत है :–

1- love__you__zindagi_002 (Instagram), 2- ROZAN ALI (Instagram), 3- Sajid Ali (Facebook), 4- Ankit Kumar (Instagram), 5- Parvinda (Facebook), 6- आदित्य भैया सांसद बदायूं के नाम से बनाई गई फेक आई.डी. (Facebook), 7- sadiq__999d (Instagram), 8- Krish Yadav (Instagram), 9- Shran Choudhary (Instagram), 10- PRAGYA SHIVA

VERMA (Instagram), 11- sonamsingh94068 (Instagram), 12- writer__abhi_47 (Instagram), 13- up_83_aps (Instagram), 14- Rinki singh (Instagram), 15- Aamir khan 2693 (Youtube), 16- Guddu Baig (Facebook), 17- Jamat Ali (Facebook), 18- Sartaj Malik (Facebook), 19- Mohd Riyaz (Facebook), 20- vicky khan (Facebook), 21- Qureshi saab (Instagram), 22- saddam Hassan (Facebook), 23- Ali Ahmadidreshi (Facebook), 24- shanu khan (Facebook), 25- Jishan Quresi (Facebook), 26- chhota imran khan (Facebook), 27- Sajjad Mo (Facebook), 28- Pushpendra choudhary (Facebook), 29- Afsar Ali Ghosi (Facebook), 30- rihan__alvi__shab_ (Instagram), 31- shadab khan FB (Facebook), 32- Kamil Khan (Facebook), 33- Moed Khan (Facebook), 34- Akeel Khan (Facebook), 35- ali.baba_295 (Instagram), 36- Anish Khan (Facebook), 37- Mohd zaid (Instagram), 38- Rahis Ahmad (Instagram), 39- Sajid khan (Facebook), 40- हबीबुलला अंसारी (Facebook)

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने सभी से अपील की है कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति तथ्यों को सत्यापित किए बगैर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट न करे जिससे समाज में अफवाह फैले, जनमानस में भय व्याप्त हो और **भारतीय सेना की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।**

किसी भी सूचना, घटना, फोटो अथवा वीडियो का सत्यापन उत्तर प्रदेश पुलिस के फैक्ट चेक X (ट्विटर) अकाउंट/UPPViralCheck से किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर भ्रामक, झूठी और राष्ट्रविरोधी सामग्री, फोटो, वीडियो पोस्ट करना एवं उन्हें शेयर करना एक दंडनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म की 24X7 मॉनिटरिंग की जा रही है।

UPPOLICE FACT CHECK
@UPPViralCheck

#FactCheck- ताजमहल पर पाकिस्तान द्वारा हमले से संबंधित #AIGenerated भ्रामक वीडियो का खण्डन @agrapolice द्वारा किया गया है।अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध @dgpup के निर्देश पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

Translate post

खण्डन एवं कार्यवाही

कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक #AIGenerated वीडियो इस भ्रामक कथन के साथ शेयर किया जा रहा है कि ताजमहल पर पाकिस्तान ने हमला किया है। पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा उक्त भ्रामक वीडियो का खण्डन किया गया है। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर ऐसी भ्रामक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सभी से अनुरोध है कि बिना सत्यापन कोई भी पोस्ट न करें।

UPPOLICE FACT CHECK
@UPPViralCheck

#FactCheck- जनपद शाहजहाँपुर में कथित आतंकी हमले से संबंधित भ्रामक वीडियो का खण्डन @shahjahanpurpol द्वारा किया गया है।अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध @dgpup के निर्देश पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

Translate post

खण्डन एवं कार्यवाही

कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो इस भ्रामक कथन के साथ शेयर किया जा रहा है कि जनपद शाहजहांपुर में आतंकी हमला हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा उक्त भ्रामक वीडियो का खण्डन किया गया है एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर ऐसी भ्रामक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सभी से अनुरोध है कि बिना सत्यापन कोई भी पोस्ट न करें।

Baghpat Police
@baghpatpolice

#baghpatpolice
थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 196/353(1)(ख)/353(1)(ग)/152 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।
@Uppolice

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 10.05.2025**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 196/353(1)(ख)/353(1)(ग)/152 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.05.2025 को थाना खेकडा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अनीश पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला बाग कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा अपनी फेसबुक आईडी पर पाकिस्तान समर्थित एवं सरकार विरोधी एवं अलगाव वादी क्रिया कलापों को बढ़ावा देने एवं लोक प्रशांति के विरुद्ध व दूसरे समुदाय के विरुद्ध वैमनस्यता उत्पन्न हो एसी भड़काऊ पोस्ट की गयी जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 196/353(1)(ख)/353(1)(ग)/152 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

KAUSHAMBI POLICE
@kaushambipolice

वायरल सोशल मीडिया पोस्ट का तत्परता से संज्ञान लेते हुए पोस्टकर्ता को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
Translate post

11:36 PM · May 9, 2025 · 133 Views

दिनांक 13.05.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12/13.05.2025 की रात्रि थाना जानसठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भलवा के पास बन्द पड़े कोल्हू पर बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–जावेद पुत्र खलील सहित अभियुक्त 2–जावेद उर्फ सबलू पुत्र इरशाद घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जावेद पुत्र खलील थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त जावेद पुत्र खलील के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग तथा गिरफ्तार अभियुक्त जावेद उर्फ सबलू पुत्र इरशाद के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद पुत्र खलील निवासी ग्राम सीकरी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।

2—जावेद उर्फ सबलू पुत्र इरशाद निवासी ग्राम कवाल थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—04 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बांदा/थाना गिरवां

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये आभूषण**
- **लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.05.2025 को थाना गिरवां व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मकरी पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये आभूषण, लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गिरवां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आमिर निवासी हड़ा कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा।

बरामदगी

1—लूटे गये आभूषण।

2—लूट के 16 हजार 500 रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.05.2025 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ करनाल हाइवे के ग्राम विज्ञाना की ओर जाने वाले रास्ते के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मतलूब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का

पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मतलूब निवासी मौहल्ला पीरशाह बिलायत कस्बा व थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.05.2025 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धनायन मोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– अरमान निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बिल्हौर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना का अनावरण**
- **लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **09 हजार 800 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.05.2025 को थाना बिल्हौर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालपुर हाइवे अन्डरपास के पास से 06 अभियुक्तों 1–राजा उर्फ यशपाल 2–अंकुर उर्फ प्रवीण 3–रिंकू उर्फ चीता 4–राजू उर्फ रविन्द्र 5–पीयूष 6–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 09 हजार 800 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिल्हौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिल्हौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना

के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त राजा उर्फ यशपाल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त अंकुर उर्फ प्रवीण के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर, जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग व अभियुक्त राजू उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिल्हौर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राजा उर्फ यशपाल निवासी चिरौली थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

2–अंकुर उर्फ प्रवीण निवासी नंग्ला लन्ही थाना जसवंत नगर जनपद इटावा।

3–रिंकू उर्फ चीता निवासी ग्राम बागी नग्ला थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

4–राजू उर्फ रविन्द्र निवासी नंग्ला खग्गू थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़।

5–पीयूष निवासी रहीमपुर करीमपुर थाना बिल्हौर कानपुर नगर।

6–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–09 हजार 800 रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–01 कार।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना लालगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 30 किग्रा अवैध गांजा**
- **01 लाख 08 हजार 950 रूपये नगद**
- **01 कार, 01 ट्रक**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.05.2025 को थाना लालगंज व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम शोभानापार ईंट भट्टे के पास से 04 अभियुक्तों 1—सूरज 2—हनुमान 3—श्याम राज 4—शाहिद अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 30 किग्रा अवैध गांजा, 01 लाख 08 हजार 950 रूपये नगद, 01 कार, 01 ट्रक, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सूरज निवासी ग्राम शोभनपार थाना लालगंज जनपद बस्ती।

2—हनुमान निवासी ग्राम निरंजनपुर पोस्ट मरहट थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

3—श्याम राज निवासी ग्राम तोरवा पोस्ट धानापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

4—शाहिद अली निवासी ग्राम शोभनपार थाना लालगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—01 कुन्तल 30 किग्रा अवैध गांजा।

2—01 लाख 08 हजार 950 रूपये नगद।

3—01 कार, 01 ट्रक।

4—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना सम्मनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना सम्मनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बलवन्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड, 2–अभियुक्ता को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदनलाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना विशुनपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना विशुनपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद ललितपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना देवबन्द पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376, 366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गुलफाम को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।